



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20122021-232012
CG-DL-E-20122021-232012

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4917]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 20, 2021/अग्रहायण 29, 1943

No. 4917]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 20, 2021/AGRAHAYANA 29, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2021

का.आ. 5308(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में भारत सरकार के अधिसूचना संख्या का.आ. 397(अ) दिनांक 27 जनवरी, 2021 भारत के राजपत्र में प्रकाशित असाधारण भाग II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) अधिसूचना संख्या का.आ. 397(अ) दिनांक 27 जनवरी, 2021 के दिनांकित में निम्नानांकित संशोधन करती है।

अधिसूचना संख्या का.आ.- 397 (अ) दिनांक 27 जनवरी,
2021 में

संशोधित

सक्षम प्राधिकारी - उप समाहर्ता भूमि सुधार, जमुई

सक्षम प्राधिकारी - जिला भू - अर्जन पदाधिकारी, जमुई

नोट : बिहार राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 333A के कि.मी. 39.2 से कि.मी. 124 तक के भूमि अधिग्रहण के लिए उप समाहर्ता भूमि सुधार, जमुई के जगह पर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, जमुई पढ़ा जाये।

अनुसूची

बिहार राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 333A के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 198.930 (डिजाईन चैनेज – कि.मी. 0.000 से कि.मी. 189.450 तक) (बरबीघा - शेखपुरा-सिकदंरा-जमुई-झाझा-बांका -पंजवारा-बिहार/झारखण्ड बार्डर खण्ड), के निर्माण (चौड़ा करने दो - लेन बनाने आदि सहित चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण) पर भूमि का अधिग्रहण

इस परियोजना के लिए जमुई जिले के भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी के परिवर्तन के कारण।

[फा. सं. RW/PAT/NH/333A/KM 0.00 – KM 198.930/2020-21/Corr]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th December, 2021

S.O. 5308(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. 397 (E), dated the 27th January, 2021 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3 Sub-Section (ii) S.O. 397 (E), dated the 27th January, 2021 namely:-

In the said notification(S.O. 397 (E), dated the 27th January, 2021)

Amended

Competent Authority- Deputy Collector Land Reforms ,
Jamui

Competent Authority- District Land Acquisition
Officer, Jamui

Note : District Land Acquisition Officer ,Jamui Nominated in place of Deputy Collector Land Reforms ,Jamui for Land acquisition on National Highway No. NH 333A for Km 39.2 To Km 124 in the State of Bihar.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH 333A for Existing Chainage - Km. 0.000 to Km. 198.930 (Design Chainage - km 0.000 to km 189.450) of the NH 333A (Barbigha - Sheikhpura - Sikandra – Jamui-Jhajha-Banka - Panjawara Bihar/Jharkhand border section) for Construction (widening/Two laning etc.) in the State of Bihar.

Due to Change of Competent Authority for land acquisition of Jamui district for this project.

[F. No. RW/PAT/NH/333A/KM 0.00–KM 198.930/2020-21/Corr]

RAJESH GUPTA, Director